न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 75 एल.आर.एक्ट
प्रकरण संख्याः 002/2024

नत्थू खां पुत्र स्व. फरीद खां उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 डबलीबास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रार्थी

बनाम्

1 ग्राम पंचायत डबलीबास मौलवी जरिये सरपंच
2 उप तहसीलदार राजस्व एवं उप पंजीयक डवलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 गगनदीप पुत्री नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4 गनी खान पुत्र नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5 गुलाबदीन पुत्र नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6 मजहर खान पुत्र नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7 मुराद मोहम्मद पुत्र नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8 प्रवीण बेगम पुत्र नियामत पुत्री फरीद खां जाति मुसलमान निवासीगण गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9 मुस्ताज अली पुत्र श्री भोला खां जाति मुसलमान निवासी गदर खेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री बलविन्द्र सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 9
3. श्री दलीप सारस्वत - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
4. राजपैरोकार

-::निर्णय::-

दिनांक 30.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1014 दिनांक 17.11.2023 व इसके अनुसरण में जारी शुद्धि इन्तकाल दिनांक 11.12.2023 पूर्णतया गलत, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। आनलाईन प्रमाणित प्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 1014 संलग्न है।

यह कि अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व उसकी मृत बहन नियामत पुत्री फरीद खां के नाम संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 8 एसटीजी (बी) के खाता

कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

संख्या 79 के पत्थर नम्बर 67/278 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व पत्थर नम्बर 68/278 के किला नम्बर 1, 7 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.301 हैक्टेयर भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 2.867 हैक्टेयर व प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 की माता स्व.नियामत का 1.434 हैक्टेयर दर्ज चला आ रहा था। अपीलार्थी की बहिन नियामत ने पिता की मृत्यु जो दिनांक 18.12.1990 को हुई थी, के पश्चात् अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुस्लिम विधि व रीति रिवाजों के अनुसार मौखिक हिब्बा अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया था। अपीलार्थी की अन्य बहिन रहमत ने भी अपना हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में जरिये पंजीकृत त्याग पत्र छोड़ दिया था। अपीलार्थी की बहिन नियामत ने पूर्व में ही अपने हक व हिस्सा की भूमि को जरिये हिब्बा अन्तरित कर दिया था, ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु दिनांक 18.12.1990 के पश्चात् से आज तक अपीलार्थी ही इस समस्त कृषि भूमि 4.301 हैक्टेयर पर बतौर वैध स्वामी काबिज चला आ रहा है। नियामत के द्वारा मौखिक हिब्बा करने के पश्चात् उसके ससुराल में निवासित होने की स्थिति में उसके नाम की कृषि भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं करवाया जा सका था परन्तु नियामत ने हमेशा ही अपने द्वारा किये गये हिब्बा को स्वीकार किया व अपने हक व हिस्सा की भूमि को अपीलार्थी के स्वामित्व की होना माना।

यह कि माह फरवरी 2021 में प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 ने अपनी माता नियामत पर दबाव बनाया कि वह उसके द्वारा पूर्व में किये गये मौखिक हिब्बा से मुकर जावे। इस बात से मुस्मात नियामत अत्यधिक क्षुब्द हुई व उसे अपनी संतान के इस बदले हुए व्यवहार से अत्यधिक सदमा लगा जबकि उसे अपने हिस्सा की भूमि का हिब्बा किये हुए 30 वर्ष से भी अधिक की अवधि हो गई थी। नियामत ने अपनी संतान की इस बात को स्वीकार नहीं किया जिस पर प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 ने अपनी माता के साथ हर वक्त क्लेश किया व अपनी माता के नाम सर्वप्रथम इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 06.02.2021 के जरिये 1.434 हैक्टेयर भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा दिया। इससे पूर्व अर्थात दिनांक 06.02.2021 से पूर्व समस्त भूमि फरीद खां के नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के इस व्यवहार से नियामत बीमार रहने लगी व उसका निधन इन्तकाल के कुछ ही दिनों बाद अर्थात दिनांक 10.04.2021 को हो गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 अपीलार्थी को उसके पुराने कब्जा काश्त से जबरन बेदखल करने के लिए प्रयासरत हो गये, जिस पर अपीलार्थी ने बतौर वादी नियामत के अभिलेखित हिस्सा को मौखिक हिब्बा के आधार पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने हेतु वाद संख्या 193/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को प्रस्तुत किया व इसके साथ ही एक स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 90/2021 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.04.2021 को प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के विरूद्ध रहन, वैय न किये जाने सम्बंधी निषेधाज्ञा पारित की।

यह कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद की लम्बित अवस्था में उक्त वाद की जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 ने परस्पर साजिश कर माननीय न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 362/2023 शीर्षक मुसताज अली बनाम नियामत आदि प्रस्तुत कर इसमें परस्पर सांठ गांठ कर अपीलार्थी को इस वाद की जानकारी दिये बिना दिनांक 01.08.2023 को डिक्री करवा लिया जिसके द्वारा मुसताज अली व मुराद मोहम्मद व मजहर खां को माता की भूमि में हिस्सा का विभाजन कर लिया गया व शेष प्रत्यर्थीगण के द्वारा मौखिक तौर पर अपना हिस्सा त्याग किया जाना बताया गया था। इस डिक्री की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

होने पर अपीलार्थी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या 283/2023 प्रस्तुत की जो स्वीकार हुई व डिक्री दिनांक 01.08.2023 को निरस्त कर प्रकरण को वापिस माननीय न्यायालय को उभय पक्ष की साक्ष्य सुनवाई करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया व इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2024 की तारीख मुकर्रर की है। अपील न्यायालय में उक्त बाद में अपीलार्थी को पक्षकार भी बनाकर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं।

यह कि उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी इस मामले में हमेशा से ही सम्बद्ध रहा है परन्तु प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 ने न्यायिक कार्यवाही का दुरूपयोग कर उपरोक्त डिक्री दिनांक 01.08.2023 के अनुसरण में अपने नाम से इन्तकाल दर्ज नहीं करवाया बल्कि इसे भी छिपाकर जरिये इन्तकाल संख्या 1014 दिनांक 17.11.2023 के जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया गया। जबकि उन्हें इस तथ्य की हमेशा से ही जानकारी रही है कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में वाद संस्थित कर उनकी माता के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सा को हिब्बा के आधार पर अपने हक में घोषित करवाने हेतु पूर्व में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो लम्बित है। इस प्रकार से इस विरासतन दर्ज इन्तकाल के प्रभाव में आने से अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी निम्न आधारों पर इस इन्तकाल को निरस्त करवाने का अधिकारी है–

क) कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत के द्वारा इन्तकाल दर्ज करने की की गई कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत की ओर से प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 का मौका पर कब्जा होने सम्बंधी किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की जबकि प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 का व इससे पूर्व उनकी माता का खाता संख्या 79/87 की कुल 4.301 हैक्टेयर भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं रहा है।

ख) कि ग्राम पंचायत को यह भी जानकारी है कि समस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी का बिना किसी रोकटोक के कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसे इन्तकाल को दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक था जिसके अभाव में यह इन्तकाल कतई विधि शून्य है। इस समस्त कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना हुई है।

ग) कि प्रश्नगत कृषि भूमि कुल 1.434 हैक्टेयर को अपने पक्ष में घोषित करवाने सम्बंधी विधिक कार्यवाही अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में की हुई है इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। इस वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादास्पद कृषि भूमि का इन्तकाल प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के पक्ष में दर्ज किये जाने की समस्त कार्यवाही विधिक दृष्टि से पूर्णतया दूषित है।

घ) कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की पालना की नहीं है जिनकी पालना की जानी आवश्यक है।

ङ) कि बिना कब्जा के प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता था।

च) कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

यह कि अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। हस्तगत अपील को दायर करने की परिसीमा एक माह की निर्धारित की हुई है परन्तु ऐसे इन्तकाल की जानकारी पूर्व में अपीलार्थी को नहीं हुई और अब प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के द्वारा जब इस भूमि को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरित किये जाने की बात गांव में सुनी गई तब अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested

को जानकारी हुई इसलिए आज इस इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी आनलाईन प्राप्त की है ऐसी स्थिति में अपील को प्रस्तुत किये जाने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है जिसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमार्यी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 1014 दिनांक 17.11.2023 व इसके अनुसरण में शुद्धि इन्तकाल दिनांक 11.12.2023 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया जिसमें अपीलाण्टस ने निवेदन किया है कि उपरोक्त शीर्षक की अपील इन्तकाल संख्या 1014 दिनांक 17.11.2023 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। हस्तगत अपील को दायर करने की परिसीमा एक माह की निर्धारित की हुई है परन्तु ऐसे इन्तकाल की जानकारी पूर्व में अपीलार्थी को नहीं हुई और अब प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 9 के द्वारा जब इस भूमि को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरित किये जाने की बात गांव में सुनी गई तब अपीलार्थी को जानकारी हुई इसलिए आज इस इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी आनलाईन प्राप्त की है ऐसी स्थिति में अपील को प्रस्तुत किये जाने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद ग्रहण की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलार्थी ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एजराज व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

» अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1 की तरफ से अधिवक्ता दलीप सारस्वत व अधिवक्ता खुशप्रीत सिंह अप्रार्थी सं. 9 की तरफ से हाजिर आये। अप्रार्थी सं. 2 ता 8 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 9 क्रमश श्री दलीप सारस्वत व श्री खुशप्रीत सिंह को दौराने बहस सुना गया। अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम पर एतराज किया गया व अपील प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1 अपीलांट व रेस्पोर्डेट सं. 3 ता 9 की माता नियामत [illegible] दखां के नाम नामान्करण सं. 1014/17.11.2023 से पूर्व प्रश्नगत अराजी अपीलांट [illegible] नाम 2.867 हैक्टेयर व नियामत पुत्री फरीद खां के नाम 1.434 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर [illegible] बिना नियामत के नाम दर्ज उक्त भूमि का अपीलाधीन इन्तकाल नं0 1014/17.11.2023 रेस्पोडैन्ट संख्या 3 ता 9 के नाम दर्ज कर तस्दीक किया गया। अपीलान्ट उक्त इन्तकाल जैर अपील से विपरीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर खण्डाधिकारी हनुमानगढ़

रूप से प्रभावित है व अपीलान्ट उक्त इन्तकाल जैर से व्यथित होकर उक्त वर्णित बिन्दूवार अपील प्रस्तुत की गई है।

2 अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि इंतकाल जैर अपील दर्ज करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत ने अपीलांट को काई सूचना नहीं दी व अपीलांट की गैर हाजिरी में नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट्स को प्रश्नगत भूमि दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने से संबधित जानकारी गांव में सुनी तब अपीलांट को नामान्तकरण दर्ज होने का ज्ञान हुआ है कि विरास्त के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो चुका है। अपीलांट ने ज्ञान होते ही उसी दिन को इंतकाल जैर अपील की नकल प्राप्त की व अपीलांट अविलंब के उक्त अपील प्रस्तुत कर रही है। यह अपील ज्ञान के अंदर दिवस है। अपीलांट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है इसलिए मियाद के बिंदू की विधिक वर्जना नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एजराज व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

चक 8 एसटीजी बी पटवार हल्का डबलीबास मौलवी नामान्तकरण सं. 1014 दिनांक 27.11.2023 की चित्रप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत डबलीबास मोलवी द्वारा नियामत की फौतगी उपरांत के विरास्त के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। क्या खातेदार के फौत होने आधार पर विरास्तन नामान्तकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को है? क्या जो भूमि खातेदारी है, व खातेदार काश्तकार की मृत्यु उपरांत उसकी भूमि उनके विधिक वारिसों के नाम दर्ज की जा सकती है? आदि प्रश्नों का अभिनिर्धारण किया जाना है। सुस्पष्टतः अपील गुणहीन है ऐसी स्थिति में मियाद के संबध में उदार दृष्टिकोण रखना आवश्यक प्रतीत होता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए।

आर.आर.टी 2002 (1) पेज 649 राजस्थान सरकार बनाम श्योचंद आदि में माननीय उच्च न्यायालय ने व आर.आर.टी 2004 (1) पेज 375 प्रेमचंद बनाम कमला बाई में अभिनिर्धारित किया है कि विलंब उपशमन पर विचार करते हुए सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए, यदि मेरीट पर प्रकरण है तो विलंब माफ कर देना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested

3 पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 1014/17.11.2023 के द्वारा नियामत पुत्री फरीद खां हिस्सा 1.434 हैक्टेयर भूमि जरिये विरासतन नामान्तकरण नियामत के वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। जिसे हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार नियामत ने अपना हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में हिब्बा कर दिया था लेकिन हिब्बा के प्रमुख तीन तत्व 1 हिब्बा करने वाले की सुस्पष्ट स्थिति 2 गृहिता की

सुस्पष्ट स्वीकृति 3 कब्जे का स्थानान्तरण के संबध में ऐसे कोई " निश्चात्मक सबूत " अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। पूर्व में चक 8 एसटीजी बी की 4.301 हैक्टेयर भूमि फरीद खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार फरीद खां के तीन वारिसान नत्थूखां, नियामत व रहमत थे जिसमें से रहमत ने अपना हिस्सा जरिये हकत्याग नत्थू खां को प्रदान किया जिससे नामान्तकरण सं. 893 द्वारा 2.867 हैक्टेयर भूमि नत्थूखां व 1.434 हैक्टेयर भूमि नियामत के नाम दर्ज हुई जो तदनुपंरात जरिये इंतकाल सं. 1014/17.11.2023 नियामत के नाम दर्ज भूमि उनके वारिसों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। अतः हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण में कोई विधिक और प्रक्रियात्मक त्रूटि दृष्टिगत नहीं होती है। अतः अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अन्तर्गत सुसंगत धारा/अधिनियम के वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:24 IST
Reason: SelfAttested